"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जनवरी 2018 —— पौष 25, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (01). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 10-10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (05), दिनांक 16 फरवरी, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

शब्द "काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रति शुल्क)" के स्थान पर, "आबकारी शुल्क" अथवा "काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रति शुल्क), जैसा भी लागू हो" प्रतिस्थापित किया जाये.

यह अधिसूचना 01-04-2017 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 10-10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (01). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-10/2017/वा. कर (आब.)/पांच (01), दिनांक 12-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 12th January 2018

NOTIFICATION

No. F 10-10/2017/CT/EX/V (01) .— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 25 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Notification No. F 10-10/2017/CT/EX/V (05), dated 16th February, 2017, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

For the words "countervailing duty", the word "excise duty or countervailing duty as applicable" shall be substituted.

This notification shall come into force from 01-04-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.